न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2025	मुकदमा संख्या 17/2024 नामान्तरकरण अपील वीरसिंह बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा अधिवक्ता अपीलांट श्री विश्राम गुर्जर उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा में आराजी खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.08 है0 स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी महेश पुत्र बच्चूराम जाति माली के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलान्ट ने उक्त भूमि के खातेदार महेश पुत्र बच्चूराम से उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी जिसका पंजीयन उप पंजीयक गुढाकटला द्वारा दिनांक 16.08.2023 को किया गया था। अपीलांट ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गुढाकटला के यहां नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु पेश किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को अवैधानिक रूप से खारिज कर दिया। नामान्तरकरण खारिज करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं दिया गया बल्कि चुपचाप नामांतरण खारिज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय को मात्र विक्रय पत्र विधि अनुसार है या नहीं यह देखकर नामांतरकरण तस्दीक किया जाना था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही उक्त नामांतरकरण खारिज कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण सं. 970 पर पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के आदेश फरमावें। राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि मौके पर प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काम न आकर आवासीय प्लाट है तथा चारों तरफ पुख्ता डंडा बना हुआ होने की रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी/आईएलआर द्वारा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गुढाकटला द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण दिनांक 970 को खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 30.10.2023 को पारित किये गये हैं। जिसकी अपील इतने लम्बे समय पश्चात किये जाने का औचित्यपूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप पंजीयक गुढाकटला द्वारा दिनांक 16.8.2023 को पंजीबद्ध किये गये विक्रय पत्र में प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.08 है0 ग्राम गुढाकटला को कृषि भूमि होना अंकित किया गया है। जबकि प्रश्नगत नामांतरकरण में उक्त भूमि आवासीय प्लाट होना व्यक्त करते हुए नामांतरकरण संख्या 970 को अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गुढाकटला द्वारा खारिज किया गया है। साथ ही अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत हेतु अवसर भी प्रदान नहीं किया जाना व्यक्त किया गया है। उक्त विरोधाभासी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण उप तहसीलदार गुढाकटला को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन कि आधार पर अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 970 पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गुढाकटला द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार गुढाकटला को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिया जाकर एवं प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में पुनः सुनकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढाकटला जिला दौसा का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जावे। नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official